कार्यालयडिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–कैलाश चन्द मीना, आई.ए.एस.

सूचना का अधिकार–प्रथम अपील संख्या 01 / 2023

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
चैनाराम पुत्र श्री जगदीशराम जाट, निवासी–जाटों का बास, ग्राम जवासिया, पोस्ट रियां सेठों की, तहसील पीपाड़शहर, जिला जोधपुर		**लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर**

अपील अन्तर्गत धारा 19 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 विरूद्ध लोक सूचना अधिकारी (अति0 संभागीय आयुक्त जोधपुर) कार्यालय हाजा।

निर्णय

दिनांक 20.02.2023

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी की टिप्पणी एवं पत्रावली का विशद परिशिलन किया गया।
3. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत **कार्यालय जिला कलेक्टर जोधपुर** के लोक सूचना अधिकारी–सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 28.11.2022, के माध्यम से उसके द्वारा संभागीय आयुक्त कार्यालय जोधपुर में दिनांक 18.06.2021 को प्रेषित शिकायत विरूद्ध श्री भंवरलाल जांगिड, भू–अभिलेख निरीक्षक, तहसील कार्यालय पीपाड़ शहर द्वारा उम्र के संबंध में कूटरचित दस्तावेज पेश कर अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त करने के संदर्भ में निम्न बिन्दुवार सूचना चाही गई थी :–

   (i) प्रार्थी द्वारा दिनांक 18.6.21 को प्रेषित उक्त शिकायत की जांच करनी थी तथा उक्त शिकायत की जांच के संबंध में इस कार्यालय से किसी भी तरह का पत्र व्यवहार प्राप्त नही हुआ।

   (ii) यह कि पैरा संख्या (i) में दर्शाये गये विवरण की जॉच की प्रमाणित प्रतिलिपीयें, जॉच निष्कर्श के दस्तावेजों एवं प्रगति रिपोर्ट के पत्राचार आदि सम्पूर्ण पत्रावली के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियें दी जावे तथा की गई कार्यवाही से मुझ प्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक के जरिये लिखित में अवगत कराने का श्रम करावे।

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

4. उक्त प्रार्थना पत्र/आवेदन लो0सू0अ0–अति0संभागीय आयुक्त जोधपुर को संबोधित होने तथा इसमें वर्णित सूचना इस कार्यालय से संबंधित होने से सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर ने अपने पत्र क्रमांकः सू.अ.अ./प्रा.सं. 561/2022/2228 दिनांक 01.12.2022 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत इस कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी–अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर को उक्त प्रार्थना पत्र/आवेदन प्रार्थी को नियमानुसार वांछित सूचना प्रदायगी हेतु स्थानांतरित कर दिया गया। इससे प्रतीत है आवेदक द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र/आवेदन सहवहन से कार्यालय जिला कलेक्टर जोधपुर को प्रेषित किया गया अथवा प्राप्त हुआ, जिससे अंतरण की कार्यवाही की गई।
5. अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र/आवेदन प्राप्त होने पर दर्ज कर, निर्धारित समयावधि में प्रार्थी को वांछित सूचना के संबंध में अपने पत्र क्रमांकः एडीसी/सू.अ./128/2022/126–27 दिनांक 22.12.2022 द्वारा यह सूचित किया गया कि आपकी शिकायत दिनांक 18.06.2022 मूल ही जिला कलेक्टर (भू.अ.) जोधपुर को इस कार्यालय के पत्र क्रमांकः एफ./स्था./बाडमेर/2021/802 दिनांक 22.06.2021 द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवा दी गई थी। उक्त पत्र की प्रति आप नियमानुसार प्रतिलिपी शुल्क 02 रूपये अदा कर प्राप्त कर सकते है। जबकि अपीलार्थी द्वारा प्रकरण में किसी प्रकार की सूचना अथवा पत्र प्राप्त नही होने का उल्लेख कर उक्त प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
6. प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 28.11.2022 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में संस्थित प्रकरण की पत्रावली तलब की गई एवं अपील पर टिप्पणी चाही गई।
7. अपीलार्थी को सुनवाई हेतु दिनांक 13.02.23, 16.02.23 व 20.03.23 को अवसर दिये जाने के उपरांत अनुपस्थित रहे।
8. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने अपनी टिप्पणी व उसके संलग्न प्रार्थी–चैनाराम द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 28.11.2022 के संदर्भ में दर्ज प्रकरण संख्या 128/2022 की पत्रावली प्रस्तुत कर मुख्यतः यह अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित शिकायत दिनांक 18.06.2021 के संदर्भ में जांच/कार्यवाही की सूचना चाही गई थी। प्रार्थी द्वारा उक्त शिकायत मूलतः श्री भंवरलाल जांगिड, भू–अभिलेख निरीक्षक, तहसील कार्यालय पीपाड़ शहर, जोधपुर के विरूद्ध उग्र

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

में कूटरचित दस्तावेज पेश कर अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त करने के संबंध में की गई थी। भू–अभिलेख निरीक्षकों की नियुक्ति व सेवा संबंधी रिकार्ड का संधारण संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय किया जाता है। अतः उक्त शिकायत प्राप्त होने पर तत्समय इस कार्यालय के पत्र क्रमांकः स्था./802 दिनांक 22.06.2021 द्वारा मूल ही जिला कलेक्टर (भू.अ.) जोधपुर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवा दी गई थी। अतः प्रार्थी को वांछित सूचना के क्रम में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एडीसी/सू.अ./128/2022/126–27 दिनांक 22.12.2022 के द्वारा निर्धारित समयावधि में उक्त तथ्य से अवगत करवाते हुए यह सूचित कर दिया गया है कि आप वांछित सूचना/उक्त पत्र की प्रति नियमानुसार प्रतिलिपी शुल्क 02 रूपये अदा कर प्राप्त कर सकते है।

9. प्रकरण में प्रत्यर्थी के पत्र क्रमांक 02 दिनांक 13.02.2023 के द्वारा यह अवगत कराया गया कि तद्उपरांत इस प्रकरण में **कार्यालय जिला कलेक्टर जोधपुर** के लोक सूचना अधिकारी–सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर को जरिये पत्र क्रमांकः 27–29 दिनांक 08.02.2023 द्वारा उपरोक्त तथ्यों से अवगत करवाते हुए प्रार्थी को वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया है। उक्त पत्र की प्रति प्रार्थी को भी पृष्ठांकित कर, उसे इस कार्यालय स्तर की सूचना के क्रम में कार्यालय पत्र दिनांक 22.6.21 व 8.2.23 की प्रति उपलब्ध करवा दी गई है। अतः आवेदक को इस कार्यालय स्तर से किसी प्रकार की सूचना दिया जाना शेष नही होने से प्रस्तुत अपील को निस्तारित फरमाते हुए, प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी–सहा0 कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर को समयबद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का आग्रह किया गया।

10. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज विनिश्चय प्रदत्त है। लोक सूचना अधिकारी–अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त, प्रार्थी–अपीलार्थी के आवेदन/प्रार्थना पत्र दिनांक 28.11.22 के संदर्भ में प्रार्थी को जरिये पत्र क्रमांकः 126–27 दिनांक 22.12.22 द्वारा निर्धारित समयावधि में यथा सूचित कर दिया गया। तदउपरांत प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु **कार्यालय जिला कलेक्टर जोधपुर** के लोक सूचना अधिकारी–सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर को प्रेषित पत्र क्रमांकः 27–29 दिनांक 08.02.2023 द्वारा प्रार्थी को वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध करवाने हेतु लिखते हुए इसकी प्रति आवेदक/अपीलांट को पृष्ठांकित कर दी गई है। साथ ही उसे इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी किए गये पत्रों की प्रतियां प्रेषित

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

कर, वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु जिला कलेक्टर कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी से संपर्क करने हेतु लिखा जा चुका है।

11. **वस्तुतः** प्रार्थी/अपीलांट श्री चैनाराम जाट द्वारा दिनांक 18.06.2021 को इस कार्यालय में श्री भंवरलाल जांगिड, भू–अभिलेख निरीक्षक, तहसील कार्यालय पीपाड़शहर, जिला जोधपुर की नियुक्ति के संदर्भ में एक शिकायत प्रेषित की गई, जो कि इस कार्यालय के पत्र कमांकः स्था./802 दिनांक 22.6.21 के द्वारा तत्समय मूल ही जिला कलेक्टर (भू.अ.) जोधपुर को नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दी गई थी। प्रार्थी द्वारा अपने उक्त पत्र के संदर्भ में जांच/कार्यवाही की सूचना उपलब्ध करवाने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रार्थना पत्र सहवहन से कार्यालय जिला कलेक्टर जोधपुर के लोक सूचना अधिकारी–सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर को प्रेषित किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र लोक सूचना अधिकारी–अति0 संभागीय आयुक्त जोधपुर को संबोधित होने व इसमें वर्णित सूचना इस कार्यालय से संबंधित होने से, सहायक कलेक्टर द्वारा इसे अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत इस कार्यालय को स्थानांतरित कर दिया गया। लो0सू0अ0–अति0 संभागीय आयुक्त द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र के कम में निर्धारित समयावधि में अपने पत्र कमांक 126–27 दिनांक 22.12.22 द्वारा प्रार्थी/अपीलांट को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए इसकी प्रति सहायक कलेक्टर को प्रेषित कर दी गई। तदउपरांत लो0सू0अ0–अति0संभागीय आयुक्त के विरूद्ध उक्त प्रथम अपील प्राप्त होने पर, उनके द्वारा पुनः अपने पत्र कमांक 27–29 दिनांक 08.02.23 द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय जोधपुर के लो0सू0अ0–सहायक कलेक्टर जोधपुर को वस्तुस्थिति की जानकारी के साथ उक्त प्रकरण की सूचना प्रार्थी को नियमानुसार उपलब्ध करवाने हेतु लिखते हुए इसकी प्रति प्रार्थी/अपीलांट को प्रेषित की गई। इसके साथ उसे इस कार्यालय स्तर से जारी पूर्व पत्रों की प्रतियां/सूचना उपलब्ध करवाते हुए वांछित सूचना हेतु जिला कलेक्टर कार्यालय से संपर्क करने हेतु सूचित कर दिया गया। अतः इस अपील में इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित होना प्रतीत नही है। प्रार्थी–श्री चैनाराम द्वारा इस कार्यालय को पूर्व प्रेषित शिकायत दिनांक 18.06.2021, जो कि मूल ही नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु जरिये पत्र कमांक 802 दिनांक 22.6.21 द्वारा जिला कलेक्टर (भू.अ.) जोधपुर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवा दी गई थी, इसके कम में जिला कलेक्टर कार्यालय जोधपुर के लो0सू0अ0–सहायक

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

कलेक्टर जोधपुर के समक्ष नियमानुसार आवेदन कर, वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है।

12. अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर उक्त अपील में इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने के कारण प्रस्तुत अपील खारीज की जाती है/खारीज योग्य है।

13. पत्रावली बाद निर्णय, नम्बर से कम की जावे तथा निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी–अति0 संभागीय आयुक्त, कार्या0 हाजा एवं सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), जोधपुर, कार्या0 जिला कलेक्टर जोधपुर को प्रेषित की जावे।

न्यायालय डिविजनल कमिश्नर
सत्यमेव जयते
जोधपुर

20/2/23

(कैलाश चन्द मीना)
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर